प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक
वाराणसी मण्डल वाराणसी

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद
शिक्षा केन्द्र–2 समुदाय केन्द्र,
प्रीति विहार, नई दिल्ली।

पत्रांक एन0ओ0सी0 / /2018–19 दिनांक 22/6/2018

विषय : जे0एम0एस0 इंग्लिश एकेडमी कपिसा दानगंज वाराणसी को सी0बी0एस0ई0बोर्ड नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपयुर्क्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सी0बी0एस0ई बोर्ड नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है :–

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेगें और उनसे उ0प्र0माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नही की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदो से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगें।
5. संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियो का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियो की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तोंं से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगें।
6. कर्मचारियो की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेगें।
7. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगें संस्था उनका पालन करेगी।
8. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।

9. उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा, और किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

(अजय कुमार द्विवेदी)
संयुक्त शिक्षा निदेशक
वाराणसी मण्डल वाराणसी

पृ0सं0/एन0ओ0सी0/ 2479-86 /2018–19 दिनांक

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. सचिव, माध्यमिक शिक्षा उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. आयुक्त, वाराणसी मण्डल वाराणसी।
3. जिलाधिकारी वाराणसी
4. शिक्षा निदेशक (मा0) उ0प्र0 लखनऊ।
5. जिला विद्यालय निरीक्षक वाराणसी।
6. निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उ0प्र0 लखनऊ।
7. प्रबन्धक, जे0एम0एस0 इंग्लिश एकेडमी कपिसा दानगंज वाराणसी।
8. गार्ड फाइल हेतु।

(अजय कुमार द्विवेदी)
संयुक्त शिक्षा निदेशक
वाराणसी मण्डल वाराणसी

JMS English Academy

Kapisa, Danganj, Cholapur, Varanasi – 221101
Website – www.jmsenglishacademy.com
E - Mail – jmsenglishacademy@gmail.com
Contact – 9918590091, 9670390090

Ref.. No. - JMS/L-1 Date - 13/06/18

प्रतिबन्ध

क	विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा	हाँ
ख	विद्यालय के प्रबंध में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा	हाँ
ग	विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उसे उ० प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद / बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा	हाँ
घ	संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जाएगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है, तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी स्कूल एजुकेशन नई दिल्ली/ कॉउन्सिल फार दी इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।	हाँ
ङ	संस्था के शिक्षक तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिए जायेंगे	हाँ
च	कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनाई जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उ० मा० विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानृवित्तक लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।	हाँ
छ	राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।	हाँ
ज	विद्यालय का रिकॉर्ड निर्धारित प्रपत्र/ पंजिकाओं में रखा जायेगा।	हाँ
झ	उक्त शर्तों में बिना शासन के पूर्वानुमोदन के कोई परिवर्तन/ परिवर्धन/ संसोधन नहीं किया जायेगा।	हाँ

हस्ताक्षर

प्रबंधक/ प्रधानाचार्य

Manager
J.M.S. English Academy
Danganj, Varanasi